प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0,

R-3791-III/14

1. कमलेश्वरी देवी पत्नी स्व. लाल विजय बहादुर सिंह,
2. अविनाश सिंह पुत्र स्व0 लाल विजय बहादुर सिंह,
3. भाग्यवती देवी उर्फ भारती सिंह पुत्री लाल विजय बहादुर सिंह(मृत)

वारिसानः-

अ. हर्ष सिंह उर्फ हंसध्वज सिंह पुत्र दिलीप सिंह (मृतक के पति)
ब. बबली सिंह पुत्री हर्ष सिंह उर्फ हंसध्वज सिंह,
स. पप्पी सिंह पुत्री हर्ष सिंह उर्फ हंसध्वज सिंह,
द. गुड़िया पुत्री हर्ष सिंह उर्फ हंहध्वज सिंह,

समस्त निवासी ग्राम बेवीपुन (नकटी) तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0,

4. राजेन्द्र सिंह उर्फ राज सिंह पुत्र लाल विजय बहादुर सिंह,
5. सिध्देश्वरी देवी उर्फ गीताराजी पुत्री लालविजय बहादुर सिंह,
6. पद्मादेवी पुत्री लाल विजयबहादुर सिंह

सभी निवासी ग्राम वासिनपुरवा शंकर सदन गढ़ रोड रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,

..........निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सावित्री सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह,
2. प्रद्युमन सिंह पत्र सुरेन्द्र सिंह,
3. बृजेश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह,
4. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह,

सभी निवासी बरा समान तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,

..........रेस्पाडेन्टगण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक-31.07.2014
तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

प्रकरण क्रमांक-504/ए-6/2012-13

कमलेश्वरी देवी विरूद्ध सावित्री सिंह वगै.

....

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.,

....

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर का आदेश दिनांक-31.07.2014 विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तगी के योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि माननीय अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक-486/सीलिंग/1974-75 शासन म0प्र0 बनाम कमलेश्वरी देवी के प्रकरण में आदेश पारित करते हुये यह आदेश दिया है कि निरंजन सिंह तनय श्याम सिंह का कोई स्वत्व आधिपत्य भूमि आराजी क्रमांक-36 रकवा 11.00ए. जिसका नया नंबर 50 है, नहीं है। निरंजन सिंह का पाट खातों की अधिकत सीमा अधिनियम 1960 की धारा 4(1) के तहत अधिनियम के उपबंधों को विफल करने की दृष्टि से पाट लिखी गई प्रतीत होती है एवं उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये वादित भूमि भूमिधारक के खाते में समाविष्ट मानते हुये निरंजन सिंह की आपत्ति निरस्त की तथा पूर्व की भांति निगरानीधीन भूमि में राजस्व रिकार्ड राज सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह के नाम दुरस्त करने का आदेश दिया था तथा अपने आदेश दिनांक-07.03.2006 की प्रतिलिपि भेजकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु आदेशित किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने माननीय अपर आयुक्त के आदेश की अवहेलना करते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया, जबकि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक ३७९१-तीन/२०१४ निगरानी जिला– रीवा

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/7/17	दोनों पक्षों के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक ५०४ अ-६/ २०१२-१३ में पारित आदेश दिनॉक ३१-७-२०१४ के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों/लेखी बहस के तथ्यों पर से तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक ५०४ अ-६/२०१२-१३ में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक ३१-७-२०१४ पर विचार किया गया। स्थिति यह है कि महिला कमलेश्वरी देवी व्दारा ग्राम समान की भूमि सर्वे नंबर ३६ एंव ग्राम रतहरा की भूमि सर्वे नंबर ४२ पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक ४८६/१९७४-७५ सीलिंग में पारित आदेश दिनांक ७-३-२००६ के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करने की मांग रखी। इस मांग पर तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक ५०४ अ-६/२०१२-१३ पॅजीबद्ध किया तथा सुनवाई प्रारंभ की, जिसमें अनावेदक ने उत्तर प्रस्तुत कर बताया कि अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक ४८६/१९७४-७५ सीलिंग में ऐसा कोई आदेश नही दिया है कि उक्त सर्वे नंबरों की भूमि महिला कमलेश्वरी के नाम दर्ज कर दी जावे। तहसीलदार हुजूर ने सुनवाई के दौरान पाया कि वाद विचारित भूमि से सम्बन्धित सीलिंग प्रकरण आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है जिसका अंतिम रूप से	

निर्णय नहीं हुआ है जिसके कारण तहसीलदार हुजूर ने महिला कमलेश्वरी व्दारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। तहसीलदार हुजूर के आदेश दिनांक ३१-७-१४ के विरूद्ध महिला कमलेश्वरी एंव अन्य ६ ने अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील कमांक १० अ-७४/१३-१४ प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनॉक ३०-९-१४ से निरस्त हुई है। इसके उपरांत तहसीलदार हुजूर के आदेश दिनांक ३१-७-१४ के विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। विचार योग्य है कि जब अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक ४८६/१३७४-७५ सीलिंग में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि उक्त सर्वे नंबरों की भूमि महिला कमलेश्वरी के नाम दर्ज कर दी जावे तथा आयुक्त न्यायालय में सीलिंग प्रकरण लम्बित है , महिला कमलेश्वरी देवी व्दारा ग्राम समान की भूमि सर्वे नंबर ३६ एंव ग्राम रतहरा की भूमि सर्वे नंबर ४२ पर नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार हुजूर ने ठीक निर्णय लिया है जिसमें फेर-बदल की गुंजायश नहीं है।

३/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक ५०४ अ-६/२०१२-१३ में पारित आदेश दिनॉक ३१-७-२०१४ उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

सदस्य